न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, एटा

उपस्थितः दिनेश चन्द, एच०जे०एस०

जे०ओ० कोड सं०– यू0 पी0 6538

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 415/2026

(C.N.R. UPET010010222026)

हेमन्त लोधी उर्फ हेमन्त कुमार उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र कृपाल सिंह, निवासी इस्लामपुर पीली, थाना मारहरा, जिला एटा। –––––आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० सरकार –––––विपक्षी

मु0 अ 0 सं0–84/2026
धारा–319(2),336(3),337,340(2) बी०एन०एस० एवं **7,13(3) उ०प्र० सा0 प 0 अनु0 सा०नि० अध्या0**
थाना–कोतवाली देहात, जिला एटा।

13.03.2026

आवेदक/अभियुक्त **हेमन्त लोधी उर्फ हेमन्त कुमार** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–**84/2026** धारा–319(2),336(3),337,340(2) **बी०एन०एस०** एवं **7,13(3) उ०प्र० सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश 2024**, थाना–**कोतवाली देहात**, जिला एटा के मामले में जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 25–02–2026 को वादी अनिल कुमार परिहार स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं जोनल मजिस्ट्रेट विपिन कुमार SDM सदर एटा ने परीक्षा केन्द्र 12434 श्री रामस्वरूप सिंह उ 0 मा0 वि० बदरिया कासगंज रोड एटा पर हाईस्कूल की विषय विज्ञान की परीक्षा में सर्च के दौरान प्रथम पाली हाईस्कूल विज्ञान परीक्षा में विद्यालय में कक्ष संख्या 7 में एक परीक्षार्थी संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। उक्त परीक्षार्थी से कडाई से पूछताछ की गयी तो परीक्षा दे रहे परीक्षार्थी ने अपना नाम हेमन्त कुमार पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम इस्माइल पुर पीली मारहरा एटा ने बताया कि वह अपने दोस्त मोहम्मद अयूब पुत्र इकबाल हुसैन निवासी नदरई पोस्ट नदरई कासगंज की परीक्षा देने आया है। उपरोक्त परीक्षार्थी से प्राप्त एक अदद एडमिट कार्ड जिसमें रोल नम्बर 12601XXXXX व विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र कोड 824 (GP), एक अदद आधार कार्ड जिसका नम्बर 4928251XXXXX आधार कार्ड पर संदिग्ध हेमन्त कुमार का फोटो 1147 मायावती कन्या इण्टर कॉलेज मारहरा के प्रधानाचार्य के द्वारा प्रमाणित लगा हुआ है। उनके द्वारा संदिग्ध हेमन्त कुमार उपरोक्त की फर्द समय करीब 11.30 बजे मेरे द्वारा मौके पर तैयार की गई।

जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्क सुना व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.03.13 16:37:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसे पुलिस द्वारा नाराजगीवश परीक्षा केन्द्र के बाहर से पकड़कर जुर्म उपरोक्त में झूठा फसा दिया गया है। आवेदक ने जुर्म उपरोक्त से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं किया है। पुलिस द्वारा आवेदक से फर्जी बरामदगी दिखाकर गलत रूप से मुकद्दमा उपरोक्त में झूठा फसा दिया है। आवेदक की केवल यह गलती है कि वह अपने परिचित को परीक्षा दिलाने ले गया था तथा परीक्षा केन्द्र के बाहर खड़ा था। आवेदक कोई नकल माफिया गिरोह का सदस्य नहीं है। कथित घटना एवं बरामदगी का कोई स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष साक्षी नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है। उक्त आधारों पर अभियुक्त को जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त अपने दोस्त मौहम्मद अयूब के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि मामला अजमानतीय एवं गंभीर प्रकृति का है तथा सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर मौहम्मद अयूब के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़े जाने का अभियोग है, जबकि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है एवं उसे झूँठा फँसाया गया है। मामला 02 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के कारावास की सजा से दण्डनीय है, जिसमें विचारण होना शेष है। अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त का इस मामले के अतिरिक्त अन्य किसी मामले का आपराधिक इतिहास होना नहीं बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 26.02.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य एवं सामग्री को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुणदोष पर टिप्पणी किये बिना, इस स्तर पर मेरी राय में आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **हेमन्त लोधी उर्फ हेमन्त कुमार** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–**84/2026** धारा–**319(2),336(3),337,340(2) बी०एन०एस०** एवं **7,13(3) उ०प्र० सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश 2024,** थाना–**कोतवाली देहात**, जिला एटा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त को रूपये पचास हजार का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान राशि की एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर दाखिल किये जाने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनॉकः 13.03.2026

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश, एटा।
JO Code UP 6538